Jai Prakash
Member Grievance Committee
Gurgaon.

V & P.O. Khandsa,
Distt. Gurgaon (Haryana)
Mob. : 9911022222
Mob. : 9891922222

Dated : 19-02-07

सेवा मे,

मानानीय उपायुक्त महोदय,
जिला गुड़गांव,

विषयः– गुड़गांव औधोगिक क्षेत्र मे श्रमिक अशान्ति के बारे में ।

मान्यवर महोदय,

मै अपका ध्यान गुडगांव औधोगिक क्षेत्र में श्रमिक अशान्ति के मौजूदा मामलो की तरफ दिलाना चाहता हूँ :–

1 मै0 अमीरा फूडस इण्ड़िया लि0 पटोदी रोड़ गुडगांव ।

इस औधोगिक सस्थान मे प्रबन्धको के नाकारात्मक रवैये के कारण लम्बे समय से श्रमिक अशान्ति का वातावरण जारी है । इस सम्बन्ध में श्रमिको की युनियन ने दि0 12.01.07 को पांच ज्ञापन माननीय श्री आन्नद मोहन साहब आई ऐ एस अतिरिक्त श्रमायुक्त हरियाणा भवन नई दिल्ली को प्रस्तुत किये थे । जिन पर शीघ्र अतिशीघ्र कार्यवाही की जानी जरूरी है । इन सभी पॉचो ज्ञापनों की अतिरिक्त प्रतियां, समझोता दि0 05.05.2005 तथा कोई आदेश दि0 11.09.2006 की प्रति के साथ आपकी सेवा मे प्रस्तुत है ।

2 जी0 टू एस0 सिक्योरिटी सर्विस इंडिया प्रा0 लिमिटेड़ गुड़गांव

इस संस्थान में श्रमिकों की एक रजि0 युनियन ग्रुप 4 फाल्क एम्पलाई युनियन श्रमिकों का प्रतिनिधत्व करती है – जिससे वार्षिक चुनाव कैप्टन जय नारायण एड़वोकेट की देख रेख में दि0 31.01.2007 को सम्पन्न हो चुके है । परन्तु संस्थान प्रबन्धक युनियन के बाकायदा चुने हुए पदाअधिकारी को मान्यता देने को तैयार नही है । संस्थान प्रबन्धको ने दुर्भावना प्रेरित कारणो से युनियन के पूर्व पदाअधिकारी मनोज कुमार (24260) को गैरकानूनी तरीके से नौकरी से निकाला हुआ है और निम्नलिखित चार श्रमिकों को नाजायज तोर निलम्बित किया हुआ है । झूठे पुलिस केस बनवायें हुए है :–

1. सन्जीव कुमार (32190)
2. मंगल सिहं (23905)
3. हरकेश (33601)
4. विजय (34952)

उपरोक्त कारणो से यूनियन के लगभग 700 सदस्यों में रोष व्याप्त है। यूनियन के चुनाव सम्बन्धि कैप्टन जय नारायण एडवाकेट का पत्र और उपरोक्त चारो श्रमिकों के निलम्बन की प्रतियां संलग्न है।

3. मै0 फैशन एक्सप्रैस प्लाट नम्बर 100 फेस नम्बर 1, गुडगांव

इस संस्थान के प्रबन्धकों का लम्बे समय से मजदूर विरोधी रवैया जारी है और प्रबन्धकों के विरूद्ध महिला श्रमिकों द्वारा सैक्सूयल हरासमैन्ट का मामला माननीय सिविल कोर्ट, गुडगांव में चल रहा

है जिसको लेकर माननीय न्यायधीश महोदय ने संस्थन के मालिक श्री तेज प्रताप मर्मिक और उसके सपुत्र श्री गौरव मर्मिक के एक दिन के लिए न्यायिक हिरासत में भी भेज दिया था।

श्रमिक मामलो को लेकर 103 श्रमिकों ने एक लिखित ज्ञापन / मांग पत्र माननीय श्रमायुक्त तथ अतिरिक्त श्रमायुक्त सहित सभी सम्बन्धित अधिकारियों को दिया हुआ है जिस पर कोई ठोस कार्यवाही अभी तक नही की गई है । इस ज्ञापन की एक प्रति इस पत्र के साथ संलग्न है।

4. <u>मै0 श्याम टेलीकाम लि0 प्लाट नम्बर 246, फेस–4, गडगांव</u>

इस औद्योगिक संस्थान के मालिको तथा श्रमिकों के बीच लम्बे समय से विाद चल रहा है। जिसका निपटारा कई समझौता वार्ताओं के बावजूद नही हो सका है।

यूनियन द्वारा हाल ही में एक मांग पत्र प्रबन्धकों तथा श्रम विभाग के अधिकारियों को दिया गया है जिसकी प्रति संलग्न है।

5. <u>मै0 लैण्ड बेस क्लासिक गोल्फ इण्डिया लि0, मेवात</u>

इस संस्थान के प्रबन्धकों ने दिनांक 06.10.2006 से गैर कानूनी लाक आउट धेषित करके लगभग 225 श्रमिको को काम से बन्द किया हुआ हैं इसके अलावा प्रबन्धकों ने 77 श्रमिकों पर झुठे पुलिस केस बनवाकर इन श्रमिकों को भोंडसी जेल भी भिजवा दिया था। इनमें से 66 श्रमिकों को बाद में रिहा कर दिया तथा 11 श्रमिकों को जमानत पर छोडा गया है

गैर कानूनी लाकआउट के विरूद्व यूनियन ने एक ज्ञापन दिनांक 06.02.2007 / 08.02.2007 सम्बन्धित अधिकारियों को दिया हुआ है जिस पर अभी तक कोई ठोस कार्यवाही सामने नही आई । जिसकी प्रतियॉ सलग्न है।

उपरोक्त सभी पांचो औद्योगिक संस्थानों में श्रमिक अशान्ति को तत्काल दूर कराने के लिए आवश्यक कार्यवाही की जावे ताकि गुडगांव औद्योगिक क्षेत्र में किसी भी प्रकार की सम्भावित टकराव की स्थिति से बचा जा सके।

धन्यवाद।

विनित

Jan